**सीएसआईआर - केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान**
**पिलानी (राजस्थान) 333031**

सं.35(4)/2011-रा.भा. दिनांक 08.12.2015

# कार्यालय ज्ञापन

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 3 नवंबर 2015 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संस्थान में लागू राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं में कुछ संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन वर्ष 2015-16 से लागू होंगे। संशोधन निम्नवत हैं -

1. सभी योजनाओं के प्रपत्र संबंधित आवेदक/सहकर्मी के अनुभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा अनिवार्यत: प्रमाणित एवं प्रतिहस्ताक्षरित हों।
2. योजना 1 (सीएसआईआर-सीरी मूल हिंदी टिप्पण आलेखन प्रोत्साहन योजना) तथा योजना 2 (सीएसआईआर-सीरी हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रोत्साहन योजना) में केवल वे ही सहकर्मी योजना में भाग लेने के पात्र होंगे जो अपना शतप्रतिशत कार्य हिंदी में करेंगे।
3. योजना 4 (सीएसआईआर-सीरी वैज्ञानिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना) के अंतर्गत एक से अधिक लेख/शोध पत्र प्रकाशन, शोध पत्र प्रस्तुतीकरण एवं पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के लिए एक ही प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारी योजनाओं के मूल्यांकन के लिए सहकर्मियों की प्रविष्टियाँ अग्रेषित करने से पूर्व कृपया उनकी भली-भाँति जाँच कर लें तथा उनकी पात्रता के संबंध में पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरांत ही उनके आवेदन अग्रेषित करें।

(के. पी. शर्मा)
प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव, निदेशक, सीएसआईआर-सीरी
2. निजी सचिव, प्रशासन नियंत्रक, सीएसआईआर-सीरी
3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य
4. सभी विभागाध्यक्ष/प्रभागाध्यक्ष/अनुभाग अधिकारी – कृपया उपर्युक्त संशोधन अपने अधीनस्थ सहकर्मियों की जानकारी में ला दें।
5. सभी सूचना पट्ट